



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 मई 2012-वैशाख 14, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अभिनव राय श्रीवास्तव पुत्र श्री विश्वबंधु राय श्रीवास्तव, निवासी डी-2/1, सेल्स टैक्स क्वार्टर, सिटी सेन्टर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश ने अपना नाम बदलकर अभिनव श्रीवास्तव पुत्र श्री विश्वबंधु राय श्रीवास्तव रख लिया है।

अतः भविष्य में मुझे अभिनव श्रीवास्तव के नाम से ही जाना व पुकारा जावे।

पुराना नाम :

(अभिनव राय श्रीवास्तव)

नया नाम :

(अभिनव श्रीवास्तव)

(19-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कु. उषा परमाल आ. स्व. श्री परमानंद परमाल, निवासी गांधी चौक, पचमढी जिला होशंगाबाद ने अपना नाम परिवर्तित कर कु. ऐशु परमाल आ. स्व. श्री परमानंद परमाल कर लिया है। इसलिए मुझे अब ऐशु परमाल के नाम से ही जाना, पहचाना, समझा एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम :

(उषा परमाल)

नया नाम :

(ऐशु परमाल)

(20-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम श्री मोहम्मद यासीन (Mohammed Yaseen) पुत्र जमशेद अंसारी था, लेकिन अब मैंने अपना नाम परिवर्तित करके नया नाम यासीन कबीर (Yaseen Kabeer) रख लिया है। अब मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाए।

पुराना नाम :

(मोहम्मद यासीन)

नया नाम :

(यासीन कबीर)

म. नं. 04, अनमता,

अहमदाबाद पैलेस रोड,

नियर नूर मस्जिद, कोहेफिज़ा, भोपाल.

(21-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, शंकरलाल टाक ने अपना नाम परिवर्तन कर अंकित कुमार टाक कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(शंकरलाल टाक)

नया नाम :

(अंकित कुमार टाक)

4, स्नेह नगर, इन्दौर (म. प्र.).

(22-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 29 मार्च, 2012

क्र. 853/एस. सी. 2/2012.—समस्त मन्दसौर जिले में संक्रामक रोग, हैजा, आंत्रशोथ, पेचिस, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर के फैलने की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस संदर्भित बीमारियों के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरन्त किये जावें.

अतः मैं, महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला मन्दसौर म. प्र. आपत्तिजनक हैजा, ज्वर, आंत्रशोथ विनियम नियम, 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला मन्दसौर को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूँ तथा आदेश देता हूँ कि:—

क. अधिसूचित क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों के लिये खाद्य एवं पेयजल सामग्री निर्माण करने या उससे निर्माण करने या उससे निर्माण कर प्रदाय करने के लिये की गई स्थापना में अथवा विक्रय या विमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर:—

1. बासी मिठाईयां सड़े-गले फल, सब्जियां, मछली, अण्डे, दूषित खाद्य पदार्थों के बेचने पर प्रतिबंध लगाया जावे.
2. कुल्फी, आईस्क्रीम, बर्फ के लड्डू, चूसने वाले पेय पदार्थ खुले स्थान/बाजार में जालीदार ढक्कन ढंककर रखे जावें, महामारी फैलने पर इनकी बिक्री पर पाबन्दी लगाई जावे.
3. नालियां, गटरें, पानी के गड्ढे, मलकुण्डा, कूड़ा-करकट आदि गंदगी को स्वच्छ रखा जावे तथा रोगाणुनाशक पदार्थ से सफाई नियमित की जावे.
4. मक्खियां, मच्छर पैदा करने वाले स्थानों को स्वच्छ रखा जावे तथा खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाया जावे.
5. नगरपालिका क्षेत्र में जल प्रदाय व्यवस्था के अन्तर्गत टंकी की समय-समय पर सफाई तथा उचित मात्रा में क्लोरीन जल शुद्धिकरण के लिये काम में लाये जावें.
6. ग्रामीण क्षेत्रों में नाले, तालाब, अस्वच्छ, कुँओं-बावड़ियों का पानी पीने के काम में नहीं लाया जावे, हैण्डपम्प का पानी ही पीने के उपयोग में लाया जावे. ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों की प्रति सप्ताह नियमित ब्लीचिंग पावडर डालकर शुद्धिकरण पश्चात् जल का उपयोग किया जावे.

ख. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या बाहर के कोई भी व्यक्ति इस आदेश के पैरा "क" के बिन्दु क्रमांक 01 में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये हुए भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायेगा.

ग. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या विमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानों में प्रवेश करने, वहां विद्यमान ऐसी वस्तुओं की जांच, पड़ताल करने, निरीक्षण

करने तथा खाने पीने की ऐसी वस्तुएं जो मानव उपयोग के लिये अभिप्रेरित हैं और जो पदार्थ दूषित या अनुपर्युक्त हैं, तो उन अस्वास्थ्यकर, दूषित, अनुपर्युक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने व नष्ट करने या ऐसी रीति से निर्वसन करने के लिये जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोकी जा सके, के लिये अधिसूचित क्षेत्र में कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूँ:—

अधिसूचित क्षेत्रों में निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूँ:—

1. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला मन्दसौर.
2. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिका दण्डाधिकारी, जिला मन्दसौर.
3. ऐसे चिकित्सक पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सक के पद से नीचे न हो.
4. नगरपालिका मंदसौर के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक.
5. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत (समस्त).
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त).

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं भी नालियों, घरों के गड्ढों, पोखरों, मल संडासों, संक्रान्त वस्तुओं, बिस्तरों, कूड़ा-करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने वक्त स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु में उनका निर्वहन अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने से संबंधित आदेश दे सकेंगे.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 06 माह की अवधि या अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक प्रभावशील रहेगा.

महेन्द्र ज्ञानी,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

(218)

निविदा सूचनाएं

दिनांक 24 अप्रैल, 2012

क्र. भण्डार-दो/1645.—शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) के उपयोग हेतु प्रिंटिंग एवं बाईण्डिंग सामग्रियों के लिये मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:—

1. मुहरबन्द निविदा के लिफाफे पर "वर्ष 2012-13 के लिये प्रिंटिंग एवं बाईण्डिंग सामग्री की निविदा" लिखा जावे.
2. कोरे निविदा पत्र कार्यालय शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर से कार्यालयीन समय में दिनांक 16 मई, 2012 को 1.30 तक प्राप्त किये जा सकते हैं.
3. भरा हुआ निविदा फॉर्म दिनांक 17 मई, 2012 को अपरान्ह 5 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं. किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा बल्कि पूर्ण जिम्मेदारी निविदा प्राप्तकर्ता/निविदाकार की होगी.
4. निविदा के साथ निविदा राशि F.D.R. संयुक्त नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर के नाम से तैयार कर संलग्न करना अति आवश्यक है. किन्हीं 20 आयटमों के लिये निविदा भरने के लिये निक्षेप राशि रुपये 5,000/- एवं 20 आयटम से अधिक आयटम के लिये निविदाकार को रुपये 10,000/- की निक्षेप राशि संलग्न करना अनिवार्य है. बिना निक्षेप राशि के निविदा प्राप्त होने पर उस निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा.
5. निविदा दिनांक 18 मई, 2012 को समिति के समक्ष अपरान्ह 4.00 बजे खोला जायेगा. निविदाकार उस तिथि को निविदा खोलने के समय उपस्थित रहना चाहते हैं, उन्हें समक्ष में बैठने की अनुमति होगी.
6. समस्त या किसी एक निविदा/निविदाओं को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर के पास सुरक्षित रहेगा.

7. निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है :—
- (क) आयकर रिटर्न की फोटो प्रति.
- (ख) वाणिज्य कर अधिनियम की कण्डिका 36 के अनुसार पंजीयन एवं VAT चुकता प्रमाण-पत्र.
- (ग) टिन नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य है.
- (घ) राष्ट्रीयकृत बैंक का निविदा निक्षेप राशि का नम्बर, दिनांक, राशि संख्या 5,000/- अथवा 10,000/- एवं बैंक का नाम अंकित किया जाना अनिवार्य है.
- (ङ) फर्म के अपने लैटर हैड में कव्हरिंग पत्र में किन-किन आयटमों के लिये निविदा भरा जा रहा है लिखकर एवं हस्ताक्षर कर उसमें निविदा फॉर्म संलग्न करना आवश्यक है.
8. प्रिंटिंग और बाईण्डिंग सामग्रियों की संख्या में आवश्यकतानुसार 25% कमी और बढ़ोत्तरी की जा सकती है.
9. सामग्री के दर F. O. R. GWALIOR मान्य किया जावेगा.
10. नियमानुसार 1% Entry Tax निविदाकार को देना होगा.

वर्ष 2012-13 के लिये प्रिंटिंग एवं बाईण्डिंग सामग्रियों का विवरण

आयटम क्रमांक	आयटम का नाम एवं विवरण	वर्ष 2012-13 में कुल अनुमानित खपत
1	2	3
1.	Lith Film, (A) 18" x 100' (Roll)	12 Nos
2.	Film Developer (for processing lith film)	180 Ltrs
3.	Cello Tape 1/2" (Transparent)	110 Nos
4.	Cotton Wool (Long Fibres)	35 Nos
5.	Glass Marbles 30 mm.	03 Bags
6.	Sand Abrasive Graining Powder	300 Kg/ 50 Kg Bag
7.	Plate Cleaner G.P. (Scum Remover)	40 Ltrs
8.	Plate Developer (Black Diamond)	40 Ltrs
9.	Plate Finisher	40 Ltrs
10.	Damping Roller Hoses 210 mm	8 Meters
11.	Damping Roller Hoses 150 mm	10 Meters
12.	Damping Roller Hoses 160 mm	12 Meters
13.	Damping Roller Hoses 170 mm	13 Meters
14.	Damping Roller Hoses 180 mm	14 Meters
15.	Damping Roller Hoses 140 mm	10 Meters
16.	Micro Graind Alluminium Plate (RO-62) (620 x 467 x 0.28 mm).	100 Nos
17.	Micro Graind Alluminium Plate (PO-25) (641 x 527 x 0.28 mm).	100 Nos

1	2	3
18.	Micro Graind Alluminium Plate (Dominant) (650 x 530 x 0.28 mm).	100 Nos
19.	Micro Graind Alluminium Plate (PO-36) (930 x 715 x 0.28 mm).	50 Nos
20.	Rubber Blanket Compressible 26 x 750 mm. width- 4 ply/1.65 mm. (for RO-62 Machine).	10 Nos
21.	Rubber Blanket Compressible 629 x 641 x 1.9 mm. (4 ply) (PO-25).	08 Nos
22.	Rubber Blanket Compressible (PO-36) 790 x 935 x (1.65 + 1.65) mm.	05 Nos
23.	Rubber Blanket Compressible 666 x 560 x 1.9 mm. (4 ply) (Dominant).	08 Nos
24.	Gestetner Digital Copier-1230 (D) Toner	10 Nos
25.	HP Laser Jet No. 29X (For HP Laser Jet 5100 Printer) Toner.	04 Nos
26.	Gestetner Copy Printer Ink CPI-11.	56 Nos
27.	Hessian Cloth (44" Width Approx weight 230 gms. for 1 yard lenth, tolerance will be \pm 5 gms.)	5000 yards
28.	Sutli 3 ply Loose	1150 Kg.
29.	Binding Cloth (Ordinary) Assorted colours Roll of 20 mtr. x 90 cm. width.	56 Rolls
30.	Stiching Wire Galvanised No. 20 (App. wt. 1.5/1.6 Kg)	50 Nos
31.	Stiching Wire Galvanised No. 24 (App. wt. 1.5/1.6 Kg)	140 Coils
32.	G.I. Wire No. 16 (App. wt. 25 Kg)	14 Coils
33.	Ball Bearing No. 6000 ZZ	10 Nos
34.	Ball Bearing No. 6001 ZZ	24 Nos
35.	Ball Bearing No. 6200 ZZ	125 Nos
36.	Ball Bearing No. 6201 ZZ	20 Nos
37.	Ball Bearing No. 6202 ZZ	30 Nos
38.	Ball Bearing No. 30207	10 Nos

1	2	3
39.	Ball Bearing No. 30209	10 Nos
40.	Tube Rod-40 watts	120 Nos
41.	Submersible Pump 250 Volt/350 Msp	12 Nos
42.	C. F. L. 55 Watt	20 Nos
43.	M. M. Wire (1mm/1.5mm/2.5 mm)	4 Coils
44.	Ivery Card Size 5 1/2" x 8" 300 GSM	4100 Nos
45.	Envelope Maplitho 70/80 GSM (5 1/2" x 8")	5500 Nos
46.	Lifebouy Soap	2600 Nos.
47.	Cotton Waste	450 to 500 Kg.

1-2
(220)

यू. एन. सिन्हा,
संयुक्त नियंत्रक,
शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,
ग्वालियर.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सतना

सतना, दिनांक 15 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र. परि./2012/337.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./792, दिनांक 28 मई, 2010 द्वारा संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, फुटौधी, पंजीयन क्रमांक 399, दिनांक 10 जून, 2002 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

संस्था के परिसमापक श्री सुजीत सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, फुटौधी, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 399, दिनांक 10 जून, 2002 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(201-A)

सतना, दिनांक 15 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र. परि./2012/338.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./1064, दिनांक 12 अगस्त, 2011 द्वारा संस्था शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी

समिति मर्यादित, अतरबेदिया पंजीयन क्रमांक 368, दिनांक 22 मार्च, 2002 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

संस्था के परिसमापक श्री टी. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शारदा महिला बहु उद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, अतरबेदिया, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 368, दिनांक 22 मार्च, 2002 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(201-B)

सतना, दिनांक 15 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र. परि./2012/339.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./..... दिनांक द्वारा संस्था प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मझगावां पंजीयन क्रमांक 269, दिनांक 12 फरवरी, 1997 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

संस्था के परिसमापक श्री टी. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मझगावां, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 269, दिनांक 12 फरवरी, 1997 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 14 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(201-C)

सतना, दिनांक 15 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र. परि./2012/340.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./27, दिनांक 5 जनवरी, 2011 द्वारा संस्था आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, सतना पंजीयन क्रमांक 11, दिनांक 31 दिसम्बर, 1968 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

संस्था के परिसमापक श्री ठाकुर प्रसाद, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, संजय नायक, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, सतना, जिला सतना पंजीयन क्रमांक 11, दिनांक 31 दिसम्बर, 1968 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 14 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

संजय नायक,
उप-रजिस्ट्रार.

(201-D)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 13 मार्च, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/संचालक मण्डल,

बालाजी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., झाबुआ.

क्र. परि./2012/190.—यह कि बालाजी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., झाबुआ का पंजीयन क्र. 1071, दिनांक 2 अप्रैल, 2011 है, के द्वारा संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्योंकि संस्था निम्नानुसार कार्य करने में असफल रही है.—

1. संस्था के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच की जाने पर यह तथ्य प्रमाणित हुआ है कि संस्था द्वारा असत्य, भ्रामक, कुटरचित दस्तावेज दिये जाकर संस्था का पंजीयन कराया गया है।
2. संस्था द्वारा उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है।
3. संस्था का संचालक मंडल संस्था के निर्वाचन कराने में कोई रूचि नहीं ले रहा है।
4. संस्था द्वारा विगत वर्षों से न तो संचालक मंडलों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है एवं न ही आमसभा का आयोजन किया जा रहा है।

उपरोक्त कारणों से मुझे यह समाधान हो गया है कि संस्था विधि अनुकूल कार्य करने में असमर्थ होने से उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उपरोक्त दर्शित कारणों से क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया जावे।

कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में संस्था का संचालक मंडल अपना प्रतिउत्तर/पक्ष पन्द्रह दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि वे व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 28 मार्च, 2012 को दोपहर 3 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह माना जावेगा कि संचालक मंडल को अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं या प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उक्तानुसार आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 13 मार्च, 2012 को जारी किया गया है।

बबलू सातनकर,

उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक.

(202)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

एकलव्य आदि. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, हीरापुर जिसका पंजीयन क्रमांक 1185/स.प.दे., दिनांक 16 जुलाई, 2007 है, तहसील कन्नौद, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री मानसिंह चौरसिया को आदेश क्रमांक 2187, दिनांक 11 नवम्बर, 2009 से परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 26 फरवरी, 2012 आयोजित कर सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्यों के आर्थिक उन्नति के हित में संस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। सहकारिता के विस्तार की दृष्टि से संस्था को पुनर्जीवित करना उचित है तथा परिसमापक के प्रस्ताव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित है एवं उसे पुनर्जीवित करना उचित है।

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, सन् 1961) की धारा-3 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकलव्य आदि. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, हीरापुर, तहसील कन्नौद, जिला देवास को परिसमापन में लाने हेतु जारी किये गये आदेश को निरस्त करते हुए इस आदेश के तहत पुनर्जीवित करता हूँ तथा निर्देश देता हूँ कि तीन माह में संस्था अपना निर्वाचन पूर्ण करावे।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.

(209)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छतरपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/868, छतरपुर, दिनांक 31 अगस्त, 2005 के द्वारा संस्था खजुराहो आडियो विजुअल सहकारी समिति मर्या., छतरपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 751, दिनांक 03 फरवरी, 1995 है को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. के. गुप्ता, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(219)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/559, छतरपुर, दिनांक 23 जून, 2009 के द्वारा संस्था भारती नागरिक सहकारी समिति मर्या., छतरपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 1175, दिनांक 16 जुलाई, 2008 है को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. के. गुप्ता, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(219-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/751, छतरपुर, दिनांक 1 अगस्त, 2009 के द्वारा संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गौरगीय जिसका पंजीयन क्रमांक 1121, दिनांक 5 सितम्बर, 2007 है को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. के. गुप्ता, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(219-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/62, छतरपुर, दिनांक 9 जनवरी, 2009 के द्वारा संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जैतपुरा जिसका पंजीयन क्रमांक 984, दिनांक 5 फरवरी, 2004 है को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, सह. विस्तार अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(219-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/751, छतरपुर, दिनांक 1 अगस्त, 2009 के द्वारा संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मंतीपुरा जिसका पंजीयन क्रमांक 1197, दिनांक 10 सितम्बर, 2008 है को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, सह. विस्तार अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(219-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/537, छतरपुर, दिनांक 23 जून, 2009 के द्वारा संस्था भागरिक सहकारी समिति मर्या., कुपी जिसका पंजीयन क्रमांक 1228, दिनांक 20 जनवरी, 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, सह. विस्तार अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(219-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/58, छतरपुर, दिनांक 9 जनवरी, 2009 के द्वारा संस्था माँ अम्बे महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सुनवाहा जिसका पंजीयन क्रमांक 981, दिनांक 5 फरवरी, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, सह. विस्तार अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(219-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/751, छतरपुर, दिनांक 1 अगस्त, 2009 के द्वारा संस्था श्री जानकी रमण महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., राईपुरा जिसका पंजीयन क्रमांक 1157, दिनांक 25 जून, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, सह. विस्तार अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(219-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/61, छतरपुर, दिनांक 9 जनवरी, 2009 के द्वारा संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कुसमाड जिसका पंजीयन क्रमांक 982, दिनांक 5 फरवरी, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, सह. विस्तार अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(219-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/533, छतरपुर, दिनांक 23 जून, 2009 के द्वारा संस्था महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., गुलगंज जिसका पंजीयन क्रमांक 1045, दिनांक 20 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, सह. विस्तार अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(219-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/681, छतरपुर, दिनांक 14 जुलाई, 2009 के द्वारा संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., भारतपुरा जिसका पंजीयन क्रमांक 963, दिनांक 6 अगस्त, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, सह. विस्तार अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(219-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/680, छतरपुर, दिनांक 14 जुलाई, 2009 के द्वारा संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., भरगुवां जिसका पंजीयन क्रमांक 1032, दिनांक 25 अगस्त, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, सह. विस्तार अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(219-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/57, छतरपुर, दिनांक 9 जनवरी, 2009 के द्वारा संस्था महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., वकस्वाहा जिसका पंजीयन क्रमांक 1001, दिनांक 12 अप्रैल, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, सह. विस्तार अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(219-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/751, छतरपुर, दिनांक 1 अगस्त, 2009 के द्वारा संस्था जटाशंकर महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., विजयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 1193, दिनांक 27 अगस्त, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, सह. विस्तार अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(219-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/751, छतरपुर, दिनांक 1 अगस्त, 2009 के द्वारा संस्था मुक्तेश्वर महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., नंद गांयवट्टन जिसका पंजीयन क्रमांक 1192, दिनांक 26 अगस्त, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, सह. विस्तार अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(219-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/59, छतरपुर, दिनांक 9 जनवरी, 2009 के द्वारा संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., तैयामार जिसका पंजीयन क्रमांक 983, दिनांक 5 फरवरी, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, सह. विस्तार अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(219-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/60, छतरपुर, दिनांक 9 जनवरी, 2009 के द्वारा संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., केरवारा जिसका पंजीयन क्रमांक 985, दिनांक 5 फरवरी, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, सह. विस्तार अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(219-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/538, छतरपुर, दिनांक 23 जून, 2009 के द्वारा संस्था नागरिक सहकारी समिति मर्या., देवरा जिसका पंजीयन क्रमांक 1227, दिनांक 20 जनवरी, 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, सह. विस्तार अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(219-Q)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/751, छतरपुर, दिनांक 1 अगस्त, 2009 के द्वारा संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., धरमपुरा जिसका पंजीयन क्रमांक 1122, दिनांक 5 सितम्बर, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, सह. विस्तार अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(219-R)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/540, छतरपुर, दिनांक 23 जून, 2009 के द्वारा संस्था अनामिका नागरिक सहकारी समिति मर्या., विजावर जिसका पंजीयन क्रमांक 1180, दिनांक 4 अगस्त, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, सह. विस्तार अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(219-S)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/751, छतरपुर, दिनांक 1 अगस्त, 2009 के द्वारा संस्था आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पनागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1129, दिनांक 9 अक्टूबर, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, सह. विस्तार अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कापोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(219-T)

के. पाटनकर,
उप-पंजीयक.

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर

दिनांक 30 अप्रैल, 2012

प्रारूप पन्द्रह

[नियम 18 (3) देखिये]

वि. क्र. 64.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम सन् 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-50 की उप-धारा (4) के अधीन इन्दौर निवेश क्षेत्र में इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ग्राम खजराना की निम्नलिखित खसरा नम्बरों की भूमि से संबंधित नगर विकास योजना क्रमांक 171 को उक्त अधिनियम की धारा-50 (7) के अन्तर्गत सर्व-साधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है.

ग्राम खजराना के खसरा नंबर:—24 पार्ट, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 पार्ट, 92, 93, 94 पार्ट, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 पार्ट, 109 पार्ट, 110 पार्ट, 111 पार्ट, 114, 120 पार्ट, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 पार्ट, 130 पार्ट, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 पार्ट, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154 पार्ट, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 पार्ट, 167, 168, 169, 170, 171, 172 पार्ट, 173 पार्ट, 174, 175 पार्ट, 176 पार्ट, 177 पार्ट, 178, 179 पार्ट, 186 पार्ट, 189 पार्ट, 190 पार्ट, 435 पार्ट, 436 पार्ट, 437 पार्ट, 440 पार्ट, 441 पार्ट, 442 पार्ट, 443 पार्ट, 444 पार्ट, 445 पार्ट, 446 पार्ट, 447, 448 पार्ट, 451, 452, 453, 454, 455, 457, 459 पार्ट, 460 पार्ट, 461 पार्ट, 485 पार्ट, 486, 487, 488, 490 पार्ट, 491 पार्ट, 494 पार्ट, 495, 67/1500, 65/1499, 68/1496, 169/1501, 165/1461, 88/1530 एवं 189/1513 पार्ट.

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:—

1. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर.
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.
3. आयुक्त, इन्दौर नगर पालिक निगम, इन्दौर.

उक्त नगर विकास योजना इस विज्ञापित के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवर्तित होगी.

(23-बी.)

चन्द्रमौलि शुक्ला,
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 मई 2012-वैशाख 14, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 18 जनवरी, 2012

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.
2. जुताई.—जिला शहडोल, प. निमाड़ तथा बड़वानी में रबी मौसम की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
3. बोनी.—जिला दतिया में फसल गेहूँ व शहडोल, प. निमाड़ तथा बड़वानी में रबी मौसम की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
4. फसल स्थिति.—जिला देवास में पाला गिरने से फसल चना, आलू, मटर व सब्जी में लगभग 30% की अनुमानित हानि तथा जिला छिन्दवाड़ा में चने की फसल पर इल्लियों का कहीं-कहीं प्रभाव है.
5. कटाई.—जिला बैतूल में फसल गन्ना व मण्डला में कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, शहडोल, उमरिया जिले में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में कहीं-कहीं उपलब्ध है.
7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या में व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 18 जनवरी, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (व) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
*जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली अधिक. तिल कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..				
2. डबरा	..				
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर, मटर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गन्ना, गेहूँ, चना, मसूर, जौ सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, सरसों, राई अधिक. गेहूँ, मसूर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, धना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	..				
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) गन्ना, तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, गेहूँ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) बाजरा, भक्का, सोयाबीन, चना, राई-सरसों, मसूर, प्याज अधिक. धान, ज्वार, तुअर, उड़द, तिल, गेहूँ, जौ, अलसी, आलू कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..				
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू, प्याज सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	..				
2. खुरई	..				
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई-सरसों, तुअर सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना कम. मसूर, सरसों, अलसी समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बधेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अलसी अधिक. मसूर, चना, गेहूँ कम. तुअर, ज्वार, जौ, राई- सरसों समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकुर्लियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर, मटर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अलसी, चना, गेहूँ, मटर, मसूर, अधिक. अरहर, राई-सरसों समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्परजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों, अलसी अधिक. मसूर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) अलसी, राई-सरसों, चना, मटर, मसूर, तिबड़ा, गेहूँ, जौ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) धान, ज्वार, कोदों, राई, चना, अलसी, जौ, गेहूँ, मसूर सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, राई-सरसों, चना अधिक. ज्वार, तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. अलसी समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, ज्वार, मूँगफली कम. अरहर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. पाला गिरने से फसल चना, आलू, मटर व सब्जी में क्षति लगभग 30% अनुमानित हानि हुई है.	3. ... 4. (1) गोहूँ, मटर, मसूर, आलू अधिक. चना, जौ कम. मूँग समान. (2) ...	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ...	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) कपास, गोहूँ, चना, टमाटर अधिक. (2) ...	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ...	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गोहूँ, चना कम. (2) ...	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ...	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. कपास, मूँगफली कम. (2) ...	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ...	3. ... 4. (1) ... (2) ...	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ... 4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, कपास, सोयाबीन, तुअर कम. (2) ...	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. सनावद	..				
3. महेश्वर	..				
4. सेगांव	..				
5. करही	..				
6. खरगोन	..				
7. गोगावां	..				
8. कसरावद	..				
9. मुल्लान	..				
10. भगवानपुरा	..				
11. भीकनगांव	..				
12. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. रबी मौसम की जुताई एवं रबी की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, कपास, गेहूँ अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
8. अजंड	..				
9. वरला	..				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2.	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ अधिक. चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, राई-सरसों अधिक. गन्ना, चना कम. ज्वार, तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचौर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, मसूर, लाख, मटर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर अधिक. गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2.	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना अधिक. कपास कम. चना, मसूर, मटर, अलसी, जौ समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. श्यामपुर	..				
3. आष्टा	..				
4. जावर	..				
5. इछावर	..				
6. नसरुल्लागंज	..				
7. बुधनी	..				
8. रेहटी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, सरसों, अलसी, गन्ना. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, . .	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन 2. गैरतगंज 3. बेगमगंज 4. गोहरगंज 5. बरेली 6. सिलवानी 7. बाड़ी 8. उदयपुरा				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. फसल गन्ने की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ कम. चना, मसूर समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैसदेही 2. घोड़ाडोंगरी 3. शाहपुर 4. चिचोली 5. बैतूल 6. मुलताई 7. आठनेर 8. आमला				
जिला होशंगाबाद	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा 2. होशंगाबाद 3. बाबई 4. इटारसी 5. सोहागपुर 6. पिपरिया 7. वनखेड़ी 8. पचमढी				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) गेहूँ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा 2. खिड़किया 3. टिमरनी 4. हण्डिया 5. सिराली 6. रहटगांव				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) सोयाबीन, उड़द, मक्का, ज्वार, मूँग सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा 2. पाटन 3. जबलपुर 4. मझौली 5. कुण्डम				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी 2. रीठी 3. विजयराघवगढ़ 4. बहोरीबंद 5. ढीमरखेड़ा 6. बरही				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मटर अधिक. गेहूँ, मसूर, चना कम. धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. चने की फसल में कहीं-कहीं इल्लियों का प्रभाव है.	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तुअर, कपास समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) अलसी अधिक. गेहूँ, चना, तिवड़ा, मटर, मसूर, राई-सरसों कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, अलसी, मटर, लाख, तिवड़ा समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

टीप.— *जिला मुरैना से पत्रक अप्राप्त रहा है.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(217)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.